

# बिहार गजट

## अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन 1940 (श0) (सं0 पटना 916) पटना, मंगलवार, 9 अक्तूबर 2018

वाणिज्य-कर विभाग

### अधिसूचना 9 अक्तूबर 2018

एस० ओ० 260, दिनांक 9 अक्तूबर 2018— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार—राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा :—

#### 1. सक्षिप्त नाम और आरम।-

- (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर (ग्यारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।
- (2) यह दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त समझी जाएगी।
- 2. बिहार **माल और सेवा कर** नियमावली, 2017 **के नियम 96 के उपनियम (10) के स्थान** पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा और 23 अक्तूबर, 2017 से प्रतिस्थापित समझा जाएगा, यथा :-
  - ''(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर प्रदायकर्ता ने बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 982 दिनांक 18 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना सं0 एस.ओ. 249 दिनांक 18 अक्तूबर, 2017, या बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 996 तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना

सं० ४०/२०१७- राज्य कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, २०१७ या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्तूबर, २०१७ द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० ४१/२०१७-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, २०१७ या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० संख्यांक १२७२(अ), तारीख 13 अक्तूबर, २०१७ द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० ७८/२०१७-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, २०१७ या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० संख्यांक १२०१७-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, २०१७ द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० ७७/२०१७-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, २०१७ द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० ७७/२०१७-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, २०१७ के फायदे का उपभोग किया है।"।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / (खंड—3)—3001)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव।

#### 9 अक्तूबर 2018

एस0 ओ0 260 दिनांक 9 अक्तूबर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / (खंड—3)—3001)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव।

#### The 9th October 2018

S.O. 260, Date 9<sup>th</sup> October, 2018— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

#### 1. Short title and commencement.—

- (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2018.
- (2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 23<sup>rd</sup> October, 2017.
- 2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 96, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 23<sup>rd</sup> October, 2017, namely:-
  - "(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have received supplies on which the supplier has availed the benefit of the Commercial Taxes Department notification S.O.- 249 dated the 18<sup>th</sup> October, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, *vide* number 982, dated the 18<sup>th</sup> October, 2017, or notification No. 40/2017-State Tax (Rate) dated the 23<sup>rd</sup> October, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, *vide* number 996, dated the 23<sup>rd</sup> October, 2017, or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23<sup>rd</sup>

October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1321 (E), dated the 23<sup>rd</sup> October, 2017 or notification No. 78/2017-Customs, dated the 13<sup>th</sup> October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1272(E), dated the 13<sup>th</sup> October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13<sup>th</sup> October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1299 (E) dated the 13<sup>th</sup> October, 2017.".

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-3)-3001)]

By order of the Governor of Bihar,

DR. PRATIMA,

Commissioner State Tax-cum-Secretary,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 916-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <a href="http://egazette.bih.nic.in">http://egazette.bih.nic.in</a>